बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
आदेश

पटना, दिनांक– 12.03.26

का0आ0सं0–AL-942/71/2022-SEC_8-1598/– श्री सुरेश सिंह, सेवानिवृत प्रधान लिपिक, द्वारा जिला निबंधन कार्यालय, सारण, छपरा के पदस्थापन अवधि में उनके द्वारा भूमि का सही रूप से स्थल जाँच नहीं करने के कारण निबंधित दस्तावेज संख्या 616/2019 में सरकार को मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क के रूप में कुल रूपये 6,12,864/रूपये की राजस्व क्षति का मामला प्रकाश में आने के कारण उनका आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल पाया गया। श्री सिंह के विरूद्ध जिला अवर निबंधक, सारण, छपरा द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया तथा गठित आरोप–पत्र के आलोक में श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी जिसके अनुपालन में आरोपी कर्मी श्री सिंह द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसे प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोप की वृहद जाँच हेतु विभागीय कार्यालय आदेश सं0–2951 दिनांक–06.06.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला अवर निबंधक मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हुए उन्हे जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। विभागीय कार्यवाही के उपरान्त संचालन पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह, के विरूद्ध लगाये गये आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित किया गया। आरोपी कर्मी श्री सिंह के विरूद्ध प्रमाणित आंशिक आरोप के आलोक में उनसे विभागीय पत्रांक–2961 दिनांक–03.06.2025 द्वारा संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी, जिसके अनुपालन में उनका द्वितीय बचाव बयान प्राप्त हुआ, जिसमें श्री सिंह ने निबंधन मार्गदर्शिका एवं निबंधन मूल्यांकन नियमावली के अस्तित्व में नहीं रहने के आधार पर उनके द्वारा आरोप से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया। तदालोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा द्वारा किये गये रेंडम जाँच में जिला निबंधन कार्यालय, सारण में निबंधित दस्तावेज संख्या–616/2019 में वर्णित भूमि को आवासीय प्रकृति की भूमि पाया गया है जिसके कारण आरोपी कर्मी द्वारा भूमि का भौतिक सत्यापन/स्थल जाँच में गलत प्रतिवेदन दिए जाने के कारण सरकार को मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क के रूप में कुल–6,12,864/रूपये की सरकारी राजस्व की क्षति हुयी जिसके उपरांत प्रमाणित आरोप के फलस्वरूप श्री सिंह को विभागीय आदेश–4514 दिनांक–06.08.2025 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम, 43 (बी0) के संगत प्रावधानों के तहत उनके पेंशन से 25% (पच्चीस प्रतिशत) की कटौती 5 (पाँच) वर्ष के लिए करने का दंण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया जिसके विरूद्ध श्री सिंह द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक–09.10.2025 को सुनवाई की गयी।

2. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित दंडादेश की समीक्षा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 27 के अधीन निम्न मानकों पर की गयी:–

(क) क्या अनुशासनिक प्राधिकार ने दंडादेश पारित करने के क्रम में नियमावली में विहित प्रकियाओं का सर्वथा पालन किया है, यदि नहीं तो क्या ऐसा अनुपालन नहीं किये जाने से भारत के संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है अथवा न्याय नहीं हो पा रही है ?

12.03.26

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकार का निष्कर्ष अभिलेख पर रखे गये साक्ष्य द्वारा समर्थित है?

(ग) क्या अधिरोपित शास्ति पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा कठोर है ?

3. अपीलार्थी के अपील आवेदन के आलोक में अभिलेख की जॉच की गई। अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के क्रम में एवं अपील आवेदन में अपना पक्ष रखा है कि अनुशासनिक पदाधिकारी द्वारा पारित दंडादेश कानून एवं तथ्य की दृष्टि में गैरकानूनी एवं अनुचित है। अनुशासनिक पदाधिकारी का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी द्वारा भूमि का भौतिक सत्यापन/स्थल जाँच गलत ढंग से किया जिससे सरकार को 6,12,864/– रूपये की राजस्व क्षति हुई, गलत तथ्यों एवं अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से परे है एवं उनके द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है।

4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपित कर्मी के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन एवं संलग्न अनुलग्नको की विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा द्वारा रेंडम जाँच के क्रम में जिला निबंधन कार्यालय, सारण में निबंधित दस्तावेज संख्या–616/2019 में वर्णित भूमि को आवासीय प्रकृति की भूमि माना है एवं उपरोक्त तथ्यों के आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्ध लगाये गये आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है जिसके कारण आरोपी कर्मी द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल कार्य किया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। निष्कर्ष जॉच पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से समर्थित है। आरोपित कर्मी के विरुद्ध अधिरोपित दंड समानुपातिक एवं पर्याप्त है।

6. अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपीलार्थी श्री सुरेश सिंह, तत्कालीन प्रधान लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सारण, सम्प्रति सेवानिवृत अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय बक्सर, के अपील आवेदन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम 27 (3) के अन्तर्गत खारिज करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार निबंधन महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेश को सम्पुष्ट किया गया है।

7. अतएव उक्त के आलोक में श्री सुरेश सिंह, तत्कालीन प्रधान लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सारण, सम्प्रति सेवानिवृत अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, बक्सर के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

8. इसमें विभागीय सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– AL-942/71/2022-SEC_8 1598/– पटना, दिनांक– 12.03.26

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, सारण, छपरा/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, बक्सर/डॉ0 संजय कुमार, उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण, छपरा/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा/जिला कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/जिला अवर निबंधक, सारण, छपरा/जिला अवर निबंधक, बक्सर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री सुरेश सिंह, तत्कालीन प्रधान लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सारण, सम्प्रति सेवानिवृत अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय बक्सर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/2026
सरकार के संयुक्त सचिव

12.03.26